संख्या-डीजीटी-ई-13019/01/2023-हिंदी
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
***

नई दिल्ली, दिनांकः 16 जुलाई, 2024

परिपत्र

विषयः संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महानिदेशालय के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों का समय-समय पर राजभाषा निरीक्षण किया जाता रहा है। इस संबंध में, समिति के माननीय सदस्यों द्वारा राजभाषा नीति संबंधी निम्नलिखित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिए जाते हैः

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने हैं। इस धारा का पूर्ण रूप से पालन किया जाए।
2. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र मे स्थित कार्यालयों द्वारा 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ 100% और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालय द्वारा 55% मूल पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है।
3. केन्द्र सरकार के 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों द्वारा 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार अनिवार्य रूप से हिन्दी में किया जाए। इनमें कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए, उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।
4. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरी व सेवा-पुस्तिकाओं के शीर्षक एवं प्रविष्टियां हिंदी में ही की जाए। 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथा संभव हिंदी में की जाए।
5. हर तिमाही में अनिवार्य रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। छोटे कार्यालय अपनी सुविधानुसार संयुक्त कार्यशालाओं का आयोजन करें।
6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें तिमाही आधार पर नियमित अंतराल से आयोजित की जाएं।
7. कार्यालय मे प्रयोग में आने वाले कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य किए जाए।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संस्थान में उपरोक्त राजभाषा कार्यान्वयन के क्रम में पाई जाने वाली कमियों को काफी गंभीरता से लिया जाता है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बातों का अपने संस्थान में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करने की कृपा करें। साथ ही, उक्त सभी मदों की भविष्य में समुचित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें।

इसे **उप महानिदेशक महोदय** के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

गुलाब चंद्रा
(गुलाब चंद्रा)
सहा.निदेशक, राजभाषा (प्रभारी)

आवश्यक कार्रवाई हेतुः

प्रशिक्षण महानिदेशालय के समस्त अधीनस्थ कार्यालय

प्रतिः सूचनार्थ

1. महानिदेशक/अपर सचिव के पीएसओ
2. उप महानिदेशक (मुख्यालय) के प्रधान निजी सचिव
3. उप महानिदेशक (दक्षिण) के प्रधान निजी सचिव
4. उप महानिदेशक (पूर्व) के प्रधान निजी सचिव
5. सहायक निदेशक, राजभाषा अनुभाग, एमएसडीई